BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in ,Email- biada-bih@gov.in Phone: 0612-2675998/2675991/2675889 (Fax)

उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना में स्थित बियाडा कार्यालय के निम्नांकित वाहनों की नीलामी दिनांक 26.11.2018 को जहाँ जैसे के आधार पर पूर्वाह्न 11:00 बजे में की जाएगी।

वाहन का वर्तमान अवस्थित स्थान इस प्रकार है :–

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	वाहन संख्या	मॉडल	मोटरयान निरीक्षक द्वारा अनुमानित न्यूनतम मूल्य	अवस्थित स्थान
1	जिप्सी	BR-1AP-2703	2005	70,000/–	उद्योग भवन स्थित बियाडा का गैरेज।
2	जिप्सी	BR-1AP-2704	2005	70,000/–	
3	जिप्सी	BR-1AP-6410	2007	70,000/–	
4	एम्बेसडर	BR-1AF-3875	2007	30,000/–	
5	एम्बेसडर	BR-1AJ-4174	2008	35,000/–	
6	एम्बेसडर	BR-06F-0357`	2002	....	

वाहन के नीलामी की शर्तें

1. वाहन की नीलामी "As is where is" (जो जिस अवस्था में है) के आधार पर किया जायेगा।
2. वाहन की नीलामी के डाक बोलने वाले का प्रतिभूति रूप में राशि 10,000/–रूपये नगद जमा करना होगा।
3. सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति को डाक की राशि का 50% 2 घटों के अन्दर जमा करना होगा। शेष 50% की राशि 2 दिनों के अन्दर जमा करनी होगी। डाक की रकम पर (GST) अलग से देय होगा।
4. उच्चतम डाक वक्ताओं को छोड़कर शेष को उनके प्रतिभूति की राशि नीलामी समाप्त होने के बाद तत्काल वापस कर दी जायेगी। उच्चतम डाक वक्ता द्वारा डाक की पूर्ण राशि जमा कर देने के बाद द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को प्रतिभूति की राशि लौटा दी जायेगी।
5. डाक बोलने के क्रम में एक बार में राशि 1,000/–(एक हजार रूपये) की न्यूनतम बोली लगाने होगी। अधिकतम की सीमा निर्धारित नहीं है।
6. नीलामी पर सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् ही विक्रय आदेश निर्गत किया जायेगा एवं उसके उपरान्त ही वाहन को परिसर से हटाया जायेगा।
7. वाहन की नीलामी से संबंधित जानकारी बियाडा, मुख्यालय के प्रभारी हाउस कीपिंग से कार्यालय समयावधि में मो० संख्या–9297965112 पर प्राप्त की जा सकती है।
8. वाहन के निबंधन एवं बीमा की जिम्मेवारी डाक वक्ता की होगी।
9. निर्धारित अवधि में डाक की राशि जमा नहीं करने पर प्रतिभूति की राशि जप्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता के द्वारा अगर सही राशि होगी तो उसपर युक्तसंगत निर्णय लिया जायेगा अथवा उसे भी रद्द कर प्रतिभूति की राशि लौटा दी जायेगी।
10. बियाडा को बिना कारण बताये डाक अस्वीकृत एवं नीलामी को स्थगित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

21.11.18

मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी
बियाडा, पटना।